संख्या- 8-2026-536-57-1099-117-2024

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2026

विषय:- **जनपद अयोध्या में माझा जमथरा की नजूल भूमि गाटा सं० 57 मि० में निर्माणाधीन 33 एमएलडी एसटीपी के पहुंच मार्ग (साकेत सदन से बन्धा तक) के उच्चीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (अ0क्षे0), लोक निर्माण विभाग का पत्र दिनांक 17.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में माझा जमथरा की नजूल भूमि गाटा सं० 57 मि० में निर्माणाधीन 33 एमएलडी एसटीपी के पहुंच मार्ग (साकेत सदन से बन्धा तक) के उच्चीकरण कार्य हेतु धनराशि रू0 897.06 लाख का आगणन/प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में माझा जमथरा की नजूल भूमि गाटा सं० 57 मि० में निर्माणाधीन 33 एमएलडी एसटीपी के पहुंच मार्ग (साकेत सदन से बन्धा तक) के उच्चीकरण कार्य कराये जाने हेतु प्रस्तावित लागत रू0 897.06 लाख के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 892.16 लाख (रुपये आठ करोड़ बानवे लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रश्नगत परियोजना की 15 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप में रू0 133.82 लाख (रूपये एक करोड़ तैतीस लाख बयासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों-

1. प्रायोजना हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-1352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग की होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

3. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत प्रस्तरों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7. लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

8. प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा एवं भविष्य में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

13. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

14. स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, लखनऊ/वाराणसी से किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,33,82,000 (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**084 **लेखा शीर्षक-** 4250008000400 श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या E-5-285-X-2025-26-दिनांक:26-3-2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ/अयोध्या।
5- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, क्षेत्र अयोध्या।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ/अयोध्या ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।